

Sl. No. 25

NDCC-II Building, New Delhi.
Dated the 26 December, 2013.

To

Shri L.K. Khurana,
S/O Shri Leih Raj Khurana,
91, Sohrab Gate, Meerut,
Uttar Pradesh-250 002.

Subject : Information sought under RTI Act, 2005 - Shri L.K. Khurana.

Sir,

I am to refer to your application dated 26.9.2013 received through MHA O.M. No. 47020/2013-RTI dated 22.10.2012 seeking information relating to communal riots in the country. The point-wise information to your application as under -

- (i)-(ii) As per the available information the details of communal incidents and persons killed therein, state-wise, from 1950 to March, 2013 are enclosed as Annexure-I.
- (iii) "Public Order" and "Police" are State subjects as per the provisions of the Constitution of India and the State Governments are primarily responsible for maintaining law and order. IN order to maintain communal harmony in the country, the Central Government assists the State Governments and Union Territories Administration in a variety of ways like sharing of information, sending alert messages, sending Central Forces including the composite Rapid Action Force created specially to deal with communal situations, to the concerned State governments on specific requests and in the modernization of the State Police Forces. The Central Government has circulated Guidelines to promote communal harmony to the State and Union Territories in 2008.
- (iv) The information relating to persons killed in communal riots held in 1984 riots pertains to UT Division in the Ministry. A copy of the application is being sent to concerned CPIO for providing the relevant information.
- (v)-(vi) Since the matters related to terrorist activities/law & order, a copy of application is being sent to concerned CPIO in IS-I Division of MHA.

2. The Appellate Authority in the matter is Smt. Rashmi Goel, Joint Secretary (HR), Ministry of Home Affairs, 4th Floor, NDCC Building, Jai Singh Road, New Delhi-11 0 001.

Yours faithfully,



(Dr. R.K. Mitra)
Joint Secretary (NI) & CPIO
Tel. No. 23438111

Encl: as above

RTI-251/Div (IS-F)/13
24/12/13

Copy to -

1. RTI Section, MHA w.r.t. their above referred OM.
2. JS(Delhi), UT Division, MHA alongwith a copy of application of Shri L.K.Khurana
- ✓3. Director (IS.I), MHA with a copy of application of Shri L.K. Khurana

नं. 43028/01/2013-आर टी आई

50. 10.13
8/11/2013

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

दिनांक: 08/11/2013

कार्यालय सार्व.

118 (NS(HP)) / B
7/11/13

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुकी/सुकी के सुपुत्रा का आवेदन।

अधिकांशतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुकी/सुकी के सुपुत्रा के दिनांक 26/10/2013 के आवेदन (इस मंचालय में प्रथम अंग्रेजी आवेदन अंतरण द्वारा दिनांक 04/10/2013 को प्राप्त) को रोकना और प्रधान को अवैधत करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि लंबी वार्ड सूचना उक्त प्रधान के जियाकलापी से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखता है। यह अनुबंध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अवैधत/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 2013 को रसीद सं. के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

discussed with US CHR
this pertains to NI division
US CHR
7/11/13

RTI
We've replied
simultaneously
7/11/13
अवर सचिव, भारत सरकार
अनु-आयिका (रजि. 3 II)
5/11/13

उप सचिव (रजि. आर)
गृह मंत्रालय
रजि. डी. सी. सी- II
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुकी के सुपुत्रा का,
पुत्र श्री लखराज सुपुत्रा का,
ब्रांचरज गेट मैरु
कैम्प- 250000

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

C-17E 9/10/13
10/10/13

सूचना का अधिकार - 2

प्रधान मंत्री कार्यालय

साम्प्र. जा.क. नई दिल्ली - 110 011

संख्या आन्टीआर्द/5015/2013-पीएमआ

दिनांक: 09/10/13

कार्यालय हाथस

विषय - सूचना का अधिकार के महत्व आवेदन-पत्र

उपरोक्त विषय पर श्री एल.के. खुराना से प्राप्त दिनांक 26.9.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 07.10.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथाचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक को आवेदन-पत्र का प्रकाश हो रहा है।

HS in info

(Handwritten signature)

JS(A)

(Handwritten signature)
(सयद इकराम रिजवी)

उप सचिव एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2307 4072

- 1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय
- ✓ नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री एल.के. खुराना पुत्र श्री लखराज खुराना
91, शांहराव गेट, मंत्रट, उत्तर प्रदेश-250002

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु
उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

1/2
2/10/13

~~JS(G)~~

14/10

09/10/13

Sd(RT) *(Handwritten signature)*
14/10

6433/RT/2013
28/10/13

श्रीमान जयसूचना अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत, सरदार, नई दिल्ली।

हस्ताक्षर

07 OCT 2013

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन।

महोदय,

भारत में भारत की वर्ष 1954 के अधिनियम 1247 का अन्तर्गत के अधिनियम का जो 1954 तक भारत की विभिन्न राज्यों की कुल साम्प्रदायिक हिस्सा, साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की संख्या पर सूचना दें।

- उत्तर भारत की वर्ष 1954 के अधिनियम 1247 का अन्तर्गत के अधिनियम का जो 1954 तक भारत की विभिन्न राज्यों की कुल साम्प्रदायिक हिस्सा, साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की संख्या पर सूचना दें।
- उत्तर भारत की वर्ष 1954 के अधिनियम 1247 का अन्तर्गत के अधिनियम का जो 1954 तक भारत की विभिन्न राज्यों की कुल साम्प्रदायिक हिस्सा, साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की संख्या पर सूचना दें।
- उत्तर भारत की वर्ष 1954 के अधिनियम 1247 का अन्तर्गत के अधिनियम का जो 1954 तक भारत की विभिन्न राज्यों की कुल साम्प्रदायिक हिस्सा, साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की संख्या पर सूचना दें।
- उत्तर भारत की वर्ष 1954 के अधिनियम 1247 का अन्तर्गत के अधिनियम का जो 1954 तक भारत की विभिन्न राज्यों की कुल साम्प्रदायिक हिस्सा, साम्प्रदायिक अल्पसंख्यकों की संख्या पर सूचना दें।
- भारत के अधिकांश राज्य में आतंकवादी गतिविधियों/अकस्मात बम विस्फोटों धार्मिक स्थलों पर हमलों तथा निर्दोष नागरिकों, महिलाओं व बच्चों की दर्दनाक मौत को रोकने के लिए वीभल घटनाक्रमों पर संबंधित राज्यों व गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों पर तथ्यात्मक सूचना दें।
- राज्यों की निरन्तर विपश्चिती का न्यून व्यवस्था अलग-अलग, आतंकवाद व साम्प्रदायिक उन्मादों का स्थिति आन्तरिक गृह युद्ध की परिचायक बन रही है। भारत सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु एवं निर्दोषों की हत्याओं को क्रम पर विराम हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों का व्योम/सूचना दें।

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं 01 ता 03 द्वारा बांछित सूचनाएं शीघ्र ही निर्धारित समयवधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर धन्यवाद

संलग्नक:- सूचना शुल्क

10 रु0 मूल्य का पोस्टल आर्डर

16F - 913873

भवदीय

L. K. Khurana

एल0 के0 खुराना पुत्र स्व0 श्री
लेखराज खुराना 91 शोहराव गेट
मरठ शहर 20प्र0-250002
मोबाईल-09897053050

SENT
RTIACT
Copy No. 12476
Date 07/10/13
Last Date
For Dispute 07/10/13

16F - 913873

2/10/13

Reply of Sl No. 251

RTI MATTER

No. II/20034/20/2013-(IS-II)(P.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(IS-I DIVISION)


New Delhi, Dated: 29 December, 2013

OFFICE MEMORANDUM


Subject: Information sought under the RTI Act, 2005 by Shri L.K. Khurana.

Please find enclosed herewith an RTI application along with enclosures dated 26.09.2013 received by the undersigned on 24.12.2013 from HR Division of MHA.

2. As far as IS-II Section of IS-I Division is concerned, the application does not relate to this Division.
3. However, the RTI application is transferred to Director (IS-II), MHA under section 6(3) of RTI Act, 2005 with the request to furnish the information to applicant directly.



(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO
Tel. 23092132

o/c


✓
Shri R.K. Suman
Director (IS-II)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

Copy to:

- ✓ 1. Shri L.K. Khurana, S/o Shri Lekh Raj Khurana, 91, Sohrab Gate, Meerut, Uttar Pradesh - 250 002.
2. JS(NI) & CPIO, HR Division/NL.1 Section, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi w.r.t. your letter No. 14024/37/2013-NL.1 dated 20.12.2013.
3. Under Secretary, RTI Section, MHA w.r.t. your letter No. A.43020/1/2013-RTI dated 22.10.2013 for information.


24/12